संख्या- 30 / 2017 / 1929 / बयालिस-2017-104(विविध) / 2014

प्रेषक,

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 04 अक्टूबर, 2017**

विषय:- चौक स्टेडियम में बाक्सिंग हाल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 767/नि0 चौक स्टे0 पत्रा0/2016-17, दिनांक 27.08.2017 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चौक स्टेडियम में बाक्सिंग हाल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या- 2256/बयालिस-2016-104(विविध)/2014, दिनांक 21.12.2016 द्वारा निर्गत रू0 1194.82 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख अवमुक्त करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 398.31 लाख अवमुक्त करने के आदेश शासनादेश संख्या- 446/बयालिस-2017-104(विविध)/2014, दिनांक 31.03.2017 द्वारा निर्गत करने के उपरान्त कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा उपलबध कराये गये प्रमाण-पत्र के अनुसार उक्त धनराशि से सम्बन्धित प्रविष्टि को अपने रिकार्ड से विलोपित करते हुए नान पेमेन्ट प्रमाण-पत्र निर्गत करने तथा नान पेमेन्ट प्रमाण-पत्र के अनुसार 06 प्रतिशत की धनराशि आयकर एवं सर्विस टैक्स के रूप में कटौती के उपरान्त रू0 3,74,41,140.00 की शुद्व धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को नही हो सकने के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 में मद संख्या- 84- चौक स्टेडियम, लखनऊ में बाक्सिंग हाल का निर्माण में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपया एक करोड मात्र) एवं संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र संख्या-1738/बयालिस-2017-104(विविध)/2014, दिनांक 14.09.2017 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से चौक स्टेडियम में बाक्सिंग हाल के निर्माण हेतु रू0 274.42 लाख (रूपया दो करोड चौहत्तर लाख बयालिस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए मद में उपलब्ध कुल धनराशि रू0 374.42 लाख के सापेक्ष रू0 3,74,41,140.00 (रूपया तीन करोड चौहत्तर लाख इक्तालिस हजार एक सौ चालीस मात्र) धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 3,74,41,140.00 (रूपया तीन करोड चौहत्तर लाख इक्तालिस हजार एक सौ चालीस मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(4)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(6)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत्र में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(7)- शासनादेश संख्या-446/बयालिस-2017-104(विविध)/2014, दिनांक 31.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि रू0 398.31 लाख अवमुक्त करने के उपरान्त कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्र के अनुसार उक्त धनराशि से सम्बन्धित प्रविष्टि को अपने रिकार्ड से विलोपित करते हुए नान पेमेन्ट प्रमाण-पत्र निर्गत करने तथा नान पेमेन्ट प्रमाण-पत्र के अनुसार 06 प्रतिशत की धनराशि आयकर एवं सर्विस टैक्स के रूप में कटौती करने के दृष्टिगत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 रू0 3,74,41,140.00 में से कोषागार द्वारा आयकर एवं सर्विस टैक्स की कटौती नहीं की जायेगी।

(8)- शासनादेश संख्या-2256/बयालिस-2016-104(विविध)/2014, दिनांक 21.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-446/बयालिस-2017-104(विविध)/2014, दिनांक 31.03.2017 में उल्लिखित अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-84-चौक स्टेडियम, लखनऊ में बाक्सिंग हाल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या -1929(1)/बयालिस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी लखनऊ ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) लखनऊ ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
10- नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी0 एम0-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या-22 **पूँजी लेखा** **वित्तीय वर्ष 2017-18**

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4202-शिक्षा,खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-					
49-जनपद रामपुर में स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण -24 वृहत निर्माण कार्य 420203800490024	2835.01	2835.01	274.42	274.42	2560.59
कुल योग	2835.01	2835.01	274.42	274.42	2560.59

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा,खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-84-चौक स्टेडियम, लखनऊ में बाक्सिंग हाल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य " 420203800840024	100.00	374.42	274.42	274.42	374.42
कुल योग	**100.00**	**374.42**	**274.42**	**274.42**	**374.42**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

1- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मद संख्या 49-जनपद रामपुर में स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 2880.24 लाख की बजट व्यवस्था है। निदेशालय स्तर से योजनान्तर्गत सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत इस मद में हो रही बचत में से ग्रीनपार्क कानपुर में मीडिया सेन्टर में वातानुकूलन एवं लिफ्ट कार्य की स्वीक़ृति हेतु रू0 475.92 लाख एवं अमरोहा में स्टेडियम निर्माण हेतु रू0 45.23 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्राविधानित धनराशि में से रू0 2359.09 लाख की बचत होने की सम्भावना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

शासनादेश संख्या- 446/बयालिस-2017-104(विविध)/2014 दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा चौक स्टेडियम में बाक्सिंग हाल के निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 398.31 लाख (रू0 तीन करोड. अठानवे लाख इक्तीस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। परन्तु कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्र के अनुसार उक्त धनराशि से सम्बन्धित प्रविष्टि को अपने रिकार्ड से विलोपित करते हुए नान पेमेन्ट प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया। उपलब्ध कराये गये नान पेमेन्ट प्रमाण-पत्र के अनुसार 06 प्रतिशत की धनराशि आयकर एवं सर्विस टैक्स के रूप में कटौती के उपरान्त रू0 3,74,41,140.00 की शुद्ध धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को नहीं हो सका ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में मद संख्या 84-चौक स्टेडियम, लखनऊ में बाक्सिंग हाल का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के अनतर्गत रू0 100.00 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध है, जबकि कुल शुद्ध देयता रू0 3,74,41,140.00 है, अतएव शेष धनराशि रू0 274.42 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव

संख्या : आरई- 46/ई-5-629/दस-2017 दिनांक- 14 सितम्बर, 2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव
वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-5

संख्या- 1738/बयालिस-2017-104(विविध)/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संबधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in